प्रेस नोट

आज दिनांक 10.03.2023 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के समक्ष झुग्गी झोपडी पुर्नवास योजना के संबंध में बैठक आहूत हुई जिसमें अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी–पी0के0, भवन विभाग, वर्क सर्किल–1 एवं वर्क सर्किल–6 तथा वि/यॉ विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया । बैठक में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. ऐसे आवंटी जिनके द्वारा झुग्गी के सापेक्ष आवंटित भवन का पट्टा प्रलेख निष्पादित कराकर झुग्गी की सीलिंग करायी जा चुकी है, के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही दिनांक 10.04.2023 तक करवाने के निर्देश वर्क सर्किल–1 को दिये गये ।

2. ऐसे आवंटी जिनके द्वारा वर्तमान तक झुग्गी की सीलिंग एवं आवंटित भवन का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की गई है, उनका आवंटन एक सप्ताह में निरस्त करने के निर्देश भवन विभाग को दिये गये ।

3. ऐसे आवंटी जिनके द्वारा आवंटित भवन का पट्टा प्रलेख एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त आवंटित भवन की किस्तों, भू–भाटक आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनको भवन की अतिदेय धनराशि को जमा कराने के लिये नोटिस जारी करने के निर्देश वित्त एवं भवन विभाग को दिये गये ।

4. वरि0प्रबंधक, वर्क सर्किल–6 को सेक्टर 122, नोएडा में निर्मित भवनों का कार्य कर रहे ठेकेदार से समन्वय स्थपित करते हुये अवशेष भवनों का अनुरक्षण कार्य तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये ।

5. उप महाप्रबंधक–वि/यॉ को निर्देशित किया गया कि सेक्टर 122, नोएडा में निर्मित भवनों के सम्पूर्ण विद्युत संबंधी कार्यों को स्वयं मौके का निरीक्षण करते हुये तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे ।